(d) and (e) Considering the widespread objections, the Government has rolled back the increase in the CIP of rice and wheat for the BPL families to the level these existed before 29.1.99 to spare the BPL families from the hike.

गरीबी की रेखा से नीचे और इसके ऊपर रहने वाले उपभोक्ताओं के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मूल्य

496. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया:**
श्री राज मोहिन्दर सिंह:

क्या **खाद्य और उपभोक्ता** मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा सार्वजनिक विद्रण प्रणाली के अंतर्गत राज्य सरकारों को गरीबी की रेखा से नीचे और इसके ऊपर रहने वाले उपभोक्ताओं के लिए अलग-अलग मूल्य पर गेहूं और चावल आवंटित किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के दौरान प्रत्येक राज्य को गरीब और सपन्न उपभोक्ताओं के लिए खाद्यान्न का कितना-कितना कोटा आवंटित किया गया था; और

(ग) दोनों श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए गेहूं और चावल का मूल्य कितना-कितना था?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव): (क) जी, हां। जून, 1997 में लागू की गई लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन गरीबी रेखा से नीचे के उपभोक्ताओं और गरीबी रेखा से ऊपर के उपभोक्ताओं के लिए भिन्न दरों पर भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों को गेहूं और चावल का आवंटन किया जाता है।

(ख) 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के दौरान प्रत्येक राज्य को आवंटित खाद्यान्नों की कुल मात्रा के ब्यौरे अनुपत्र में दिए गए हैं। [देखिए परिशिष्ट 186, अनुपत्र सं० 6] जून, 1997 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू करने के साथ गरीबी रेखा से ऊपर और गरीबी रेखा से नीचे की दरों पर आवंटन शुरू हुआ। 1997-98 के दौरान (जून, 1997 से मार्च, 1998 तक) गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी रेखा से ऊपर की दरों पर किया गया कुल आवंटन अनुपत्र में दिया गया है। [देखिए परिशिष्ट 186, अनुपत्र सं० 6]

(ग) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू होने के बाद 1.6.1997 से दोनों श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए गेहूं और चावल के केन्द्रीय निर्गम मूल्य निम्नानुसार थे:—

(रुपये प्रति किलोग्राम)

	गेहूं	चावल		
		साधारण	बढ़िया	उत्तम
गरीबी रेखा से नीचे	2.50	3.50	3.50	—
गरीबी रेखा से ऊपर	4.50	—	6.50	7.50

1.12.1997 से चावल को केवल साधारण और ग्रेड "ए" में श्रेणीकृत किया गया था और केन्द्रीय निर्गम मूल्य निम्नानुसार निर्धारित किए गए थे:—

(रुपये प्रति किलोग्राम)

	गेहूं	चावल	
		साधारण	ग्रेड "ए"
गरीबी रेखा से नीचे	2.50	3.50	3.50
गरीबी रेखा से ऊपर	4.50	5.50*	7.00

*केवल जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा सिक्किम और उत्तर प्रदेश सहित उत्तर पूर्व राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए लागू।

केन्द्रीय निर्गम मूल्यों को 29.1.1999 से निम्नानुसार संशोधित किया गया है:—

(रुपये प्रति किलोग्राम)

	गेहूं	चावल	
		साधारण	ग्रेड "ए"
गरीबी रेखा से नीचे	2.50	3.50	3.50
गरीबी रेखा से ऊपर	6.50	7.00*	9.05

*केवल जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा सिक्किम और उत्तर प्रदेश सहित उत्तर पूर्व राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए लागू।

Coverage of P.D.S.

497. SHRI A. VIJAYA RAGHAVAN: Will the Minister of FOOD AND CONSUMER AFFAIRS be pleased to state:

(a) the details regarding the State-wise Coverage of PDS;

(b) whether all those under below poverty line (BPL) are covered by the PDS; and

(c) what steps have been taken by Government to strengthen the existing PDS?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD AND CONSUMER AFFAIRS (SHRI SATYA PAL SINGH YADAV): (a) and (b) The details regarding the Stat-wise coverage of PDS including the number of fair price shops and the number of special cards issued to families below poverty line (BPL) as reported by State Govts./UT Administrations are given at the Annexure. [*See Appendix 186, Annexure No. 7*] The Targeted Public Distribution System (TPDS) envisaging issue of 10 kg. of foodgrains per month to each BPL family at specially subsidised prices has been implemented by all State/Union Territories except State of National Capital Territory of Delhi and Union Territory of Lakshadweep.

(c) In the guidelines for implementation of the Targetted Public Distribution System (TPDS), the State/UTs have been asked to constitute Vigilance Committees at various levels, draw up inspection schedules right from Collector/District Magistrate to the Inspector of Supplies and take measures to introduce greater transparency in the working of the System. A Model Citizens' Charter for TPDS has also been prepared and circulated to the States/UTs. for adoption.